



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15960

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 615 सन् 2026

राम स्वरूप

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

...प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: रणजीत कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रणजीत कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है, जिसका आधार यह है कि याचिका विलंब और लापरवाही के कारण लंबित है, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता का तबादला 27.12.2024 को संभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर नगर के कार्यालय से निदेशक, वन प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर नगर के पद पर हुआ था। उन्होंने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत उठाना सर्वथा खुला है। चूंकि तबादला आदेश दिनांक 27.08.2024 का है और याचिका इस न्यायालय के समक्ष जनवरी 2026 में प्रस्तुत की गई है तथा तबादला उसी जिले में हुआ है। तदनुसार, हस्तक्षेप अस्वीकृत किया जाता है और याचिका का निस्तारण कर दिया जाता है, याचिकाकर्ता को तब तक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अधिकार खुला रखा जाता है जब तक कि वह स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण न कर ले या ग्रहण न कर ले।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

21 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजेश

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।